

सं. मानू/हि.प्र./2018-19/784

दिनांक- 26 सितंबर, 2018

### परिपत्र

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उपधारा (3) के अनुसार केन्द्र सरकार के द्वारा नियंत्रित कार्यालयों में सभी कार्यालयी कार्य द्विभाषी रूप हिन्दी और अंग्रेज़ी में होंगे।

सभी विभाग / अनुभाग अध्यक्ष एवं प्रभारी यह सुनिश्चित कर लें, कि कार्यालय से जारी होने वाले निष्पादित, हस्ताक्षरित, दस्तावेज हिन्दी या हिन्दी और अंग्रेज़ी (द्विभाषी) हो और दस्तावेज (आदेश, टिप्पण (नोटिंग), परिपत्र, पत्रों, सूचनाओं, निविदा अधिसूचनाओं और प्रेस विज्ञप्ति आदि) की एक प्रति हिन्दी प्रकोष्ठ को प्रेषित करें जो कि, यू.जी.सी. और राजभाषा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्ट में मांगी जाती है।

  
हिन्दी अधिकारी  
Hindi Officer

प्रति:

1. कुलपति/ सम-कुलपति / कुलसचिव/वित्त अधिकारी कार्यालय
2. सभी विभागाध्यक्ष / अनुभागाध्यक्ष / प्रभारी
3. निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. संबंधित मिसिल